

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल भवन बाणगंगा

म.प्र. भोपाल

विज्ञप्ति


दूरभाष क्रमांक 0755-2779411,2779412,2779413 eengphed@gmail.com

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8-4/2021/आ.प्र./एक दिनांक 03.07.2018 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक एफ-8-2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04 जनवरी 2024 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम 2011 के अनुसार तृतीय एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम 1980 के अनुसार चतुर्थ संवर्ग में निम्नानुसार पदों पर चयन हेतु निःशक्तजनों के लिये आरक्षित निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। पद की रिक्तियों/शैक्षणिक अर्हता, वेतनमान निम्नानुसार है।

क	पदनाम	कुल रिक्त पद	दिव्यांगजन के लिये आरक्षित रिक्तियां				वेतनमान	शैक्षणिक अर्हताए	वॉक इन इन्टरव्यू की दिनांक
			दृष्टि बाधित और कम दृष्टि वाले	बहरे और कम सुनने वाले	लोकमोटर डिसेबिलिटी (जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, एसिड अटैक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	सहायक मानचित्रकार	1	0	1	0	0	25300-80500 level-6	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चित्रकार अधिदर्शक उप-अधिदर्शक पाठ्यक्रम या वास्तुकला में डिप्लोमा या ड्राफ्टमेन ट्रेड में प्रमाण पत्र	15.07.24
2	शीघ्रलेखक ग्रेड 3	1	0	0	1	0	28700-91300 level-7	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र.शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण	15.07.24
3	भृत्य	4	1	1	1	1	15500-49000 level-1	आठवी कक्षा उत्तीर्ण	15.07.24

उपरोक्त निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कार्यालयीन समय में प्रमुख अभियंता कार्यालय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल भवन बाणगंगा चौराहा भोपाल में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05.07.2024 है। इस तिथि उपरांत आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे एवं प्राप्त आवेदनों में से नियमानुसार उचित पाये गये अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इन्टरव्यू हेतु पृथक से सूचित किया जायेगा।

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें विभाग की वेबसाईट [www.mpphed.gov.in](http://www.mpphed.gov.in) पर देखी जा सकती है।  
दिनांक.....

  
प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
भोपाल (म.प्र.)

## नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्त :-

1. मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित म.प्र.शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग(अराजपत्रित) सेवा (सेवा की शर्त तथा भरती) नियम, 2011 अद्यतन संशोधित के अनुसार पदों पर चयन हेतु आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया की जा रही है।
2. शीघ्रलेखक के पद हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के क्रमांक सी-3-8/2013/1/3 दिनांक 01 जुलाई 2013 के संशोधित पत्र क्रमांक सी-3-15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक 26/02/2015, सी-3-07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 18/08/2015, सी/3-5/2016/1/3, दिनांक 27.07.2016, सी-3-15/2014/1-3, भोपाल, दिनांक 24/01/2017, सी-3-15/2014/1/3, भोपाल, दिनांक 04/07/2017 एवं सी-3-07/2015/1/3 भोपाल, दिनांक 10/08/2018 के अनुसार :-

2.1. निम्नांकित संस्थाओं में से किसी एक संस्था/वि.वि. से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है :-

- (क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
- (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
- (ग) डी.ओ.ई.ए.सी.सी./नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफारमेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा.
- (घ) शासकीय पॉलिटैकनिक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स
- (ङ) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय "कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट" (COPA) प्रमाण-पत्र.
- (श्र) राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (N.C.V.T.) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (S.C.V.T.) म.प्र. द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण-पत्र.

उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी :-  
उपरोक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/एम.सी.ए./बी.सी.ए./एम.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/बी.एस.सी. (आई.टी./सी.एस.)/एम.टेक./एम.सी.ए./एम.ई. इत्यादि।

अथवा

ए.आई.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलिटैकनिक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लिकेशन एवं इंफारमेशन टेक्नालॉजी।

टीप:- बी.एस.सी./बी.कॉम./अन्य उपाधियां जिनमें केवल कम्प्यूटर केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है मान्य नहीं होगी।

- 2.2. मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा (Computer Proficiency Certification Test-CPCT) हिन्दी टायपिंग 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण हो।

- 2.3. मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद/विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.सी-3-11/12/1/13, दिनांक 03.11.12 एवं पत्र क्र./सी.3-11/2012/3 भोपाल दिनांक 13 जनवरी 2016, में संशोधित आदेश क्र.सी. 3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं सी.3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु की गणना 01 जनवरी 2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु-सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु-सीमा 40 वर्ष होगी। निःशक्तजन के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र.का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ प्रेषित करना आवश्यक है।
  5. आवेदक को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का होने पर संबंधित वर्ग का प्रमाण-पत्र सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य हैं। उल्लेखनीय हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष एवं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए।
  6. आवेदन पत्र के साथ जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं। नोट-भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 05.05.2021 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार दिनांक 01.06.2021 से समस्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र केवल यू.डी.आई.डी पोर्टल नामतः <http://www.swavlambancard.gov.in> के माध्यम से नियमानुसार जारी किये गये डिजिटल प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
  7. आवेदन पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक हैं तथा साक्षात्कार/चयन के समय सभी वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों का अनिवार्य रूप से अवलोकन कराना होगा।
  8. साक्षात्कार के समय मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र/पेनकार्ड/आधार कार्ड/ड्राइविंग लायसेंस/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध कराया जाना होगा।
  9. उम्मीदवार का चयन उनके द्वारा प्रस्तुत अर्हकारी/शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मैरिट सूची के अनुसार होगा।
  10. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं/संविदा पर कार्यरत आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
  11. आवेदक का मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
  12. आवेदक का आधार पंजीयन अनिवार्य हैं।

13. आवेदक के पास विज्ञापित पद की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए।
14. अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यदि समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात उसे कोई तीसरी संतान नहीं होती है। उपरोक्त सरल क्रमांक -1 में दर्शाये गये सभी पद अस्थाई हैं तथा चयन किये गये उम्मीदवार को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसंबर 2019 मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित सेवा) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम 2011 के अनुसार यह नियुक्ति प्रथमतः तीन वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षा (probation) पर होगी। परीवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम की प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।
15. चयनित उम्मीदवार का नियुक्ति के पूर्व पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन करवाया जावेगा। अनुकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।
16. असत्य/भ्रामक जानकारी देने पर आवेदक को साक्षात्कार/चयन के किसी भी स्तर से वंचित करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
17. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार निःशक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात एवं उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण कराये जाये।
18. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के निःशक्तजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य हैं।
19. समस्त पत्र व्यवहार आवेदन पत्र में उल्लेखित स्थाई पते पर किया जावेगा।
20. विज्ञापित रिक्त पदों की अनुमानित संख्या को कम/अधिक/निरस्त करने का अधिकार प्रमुख अभियंता को होगा।
21. आवेदकों के चयन के संबंध में किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल का ही मान्य होगा।

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
म.प्र. भोपाल